भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 344
दिनांक 2 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया

†344. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा हाल ही में बाढ़, चक्रवात और भूकंप से प्रभावित राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार नई पूर्व चेतावनी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रौद्योगिकियां शुरु करने की योजना बना रही है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): भारत, जोकि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुभेद्य है, ने अपनी तैयारी और प्रतिक्रिया के स्तरों को बेहतर बनाने में निरंतर प्रगति की है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 विकास योजना बनाने में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को प्रमुखता के साथ शामिल करने की आवश्यकता पर बल देता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम), 2009 एक सुरक्षित और आपदा-रोधी भारत के निर्माण का लक्ष्य रखती है।

आपदा तैयारी में अभ्यास और प्रशिक्षण आयोजित करना, आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, पूर्व-चेतावनी (अर्ली वार्निंग) का प्रसार करना आदि शामिल हैं। दूसरी ओर, रेस्पोंस तंत्र क्षति का आकलन करने, सहायता प्रदान करने, पुनर्वास और पुनर्निर्माण आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। हालाँकि, प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारी और रेस्पोंस तंत्र एक सतत और क्रमिक विकास वाली प्रक्रिया है और प्राकृतिक आपदाओं की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर इन्हें लगातार अद्यतन और संशोधित किया जाता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 344, दिनांक 02.12.2025

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने जागरूकता सृजन, सामुदायिक पहुंच और जोखिम न्यूनीकरण पर विशेष बल देते हुए आपदा के प्रति तैयारी और रेस्पोंस तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। एनडीएमए द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:

i. देश भर में तैयारियों और रेस्पोंस की पद्धति को मानकीकृत करने के लिए विभिन्न विषयगत और अंतर्संबंधित (क्रास कटिंग) मुद्दों पर 38 दिशानिर्देश जारी करना।

ii. आपदा कार्रवाई में सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए आपदा मित्र योजना का कार्यान्वयन।

iii. आपदा रेस्पोंस में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (बीएसएंडजी) के 2,37,326 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा आपदा मित्र योजना (वाईएएमएस) का कार्यान्वयन।

iv. कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली (सचेत) के माध्यम से बेहतर पूर्व-चेतावनी (अर्ली वार्निंग) प्रसार को बढ़ावा दिया गया, जिसके अंतर्गत 11,000 करोड़ से अधिक पूर्व-चेतावनी अलर्ट प्रसारित किए गए हैं।

v. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ तालमेल से, भेद्यता (वल्नेरेबिलिटी) प्रोफाइल के अनुसार विभिन्न आपदाओं पर राज्य और बहु-राज्य स्तरीय मॉक अभ्यासों का आयोजन करना।

vi. त्वरित बचाव और राहत कार्यों के लिए टीमों, उपकरणों और अन्य संसाधनों को जुटाने के लिए एनडीआरएफ, सशस्त्र बलों, संबंधित मंत्रालयों और राज्यों के साथ समन्वय करना।

vii. आपदाओं से पहले की तैयारी के उपायों, आपदाओं के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों और आपदा के बाद की स्थिति में की जाने वाली उचित कार्रवाई के बारे में जनता को सूचित, शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए सोशल मीडिया पर नियमित अभियान चलाना।

viii. भूस्खलन, जीएलओएफ, तटीय और नदी-कटाव, जंगल की आग, बिजली गिरने, भूकंप आदि जैसी विभिन्न आपदाओं के शमन के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) के माध्यम से विभिन्न प्रमुख आपदा जोखिम शमन कार्यक्रम शुरू किए गए।

(ख): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर, अपने पास पहले से उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालाँकि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। प्राकृतिक आपदाओं के

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 344, दिनांक 02.12.2025

मद्देनजर एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत वित्तीय सहायता तत्काल राहत के रूप में दी जाती है, न कि नुकसान/दावा की भरपाई के लिए।

वर्ष 2025-26 में, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ से राज्यों को बाढ़, चक्रवात और भूकंप सहित अधिसूचित आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए जारी धनराशि का विवरण **अनुलग्नक 1** में दिया गया है।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए एसडीआरएफ के अंतर्गत 1311.20 करोड़ रुपये (983.20 करोड़ रुपये केंद्रीय अंश + 328.00 करोड़ रुपये राज्य अंश) की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से केंद्रीय अंश से 491.60 करोड़ रुपये की पहली किस्त राज्य को जारी कर दी गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा अपने एसडीआरएफ खाते में 1 अप्रैल, 2025 को आरंभिक शेष के रूप में 5289.55 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होने की सूचना दी गई है।

(ग): भारत सरकार ने सीएपी आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली (सचेत) नामक एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य भौगोलिक दृष्टि से संदर्भित आबादी तक आसन्न खतरों के बारे में, चेतावनियों/अलर्टों का विभिन्न संचार माध्यमों जैसे एसएमएस, टीवी/रेडियो प्रसारण, रेलवे, मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, सैटेलाइट टर्मिनल आदि के द्वारा स्थानीय भाषाओं में प्रसारित करने की सुविधा प्रदान करना है।

सीएपी प्लेटफॉर्म चेतावनी (अलर्ट) जारी करने वाली सभी एजेंसियों अर्थात भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) को सभी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के साथ एकीकृत करता है।

इस प्रणाली का हाल की आपदाओं में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है और अब तक 11,000 करोड़ से ज्यादा एसएमएस अलर्ट प्रसारित किए जा चुके हैं। यह अत्याधुनिक योजना है और 'मेक इन इंडिया' पहल का एक हिस्सा है।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 344, दिनांक 02.12.2025

अनुलग्नक 1

वर्ष 2025-26 में, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ से राज्यों को आवंटित एवं जारी धनराशि का विवरण

(07.11.2025 तक, राशि करोड़ में)

क्रम संख्या.	**राज्य का नाम**	**एसडीआरएफ का आवंटन**			**एसडीआरएफ से जारी राशि**		**एनडीआरएफ से जारी राशि**		
		केंद्रीय अंश	**राज्य अंश**	**कुल**	**पहली क़िस्त**	**दूसरी क़िस्त**	**प्राकृतिक आपदा**	**अग्नि सेवाओं का आधुनिकीकरण**	**आपदा पश्चात् आवश्यकता आकलन (पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण)**
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1088.00	361.60	1449.60	--	--	--	--	--
2.	अरुणाचल प्रदेश	243.20	27.20	270.40	237.20 (115.60#+ 121.60)	--	--	34.536	--
3.	असम	751.20	83.20	834.40	375.60	--	49.85	--	--
4.	बिहार	1376.80	459.20	1836.00	688.40	--	--	76.704	--
5.	छत्तीसगढ़	420.00	140.00	560.00	400.00#	--	--	--	--
6.	गोवा	11.20	4.00	15.20	5.60	--	--	--	--
7.	गुजरात	1287.20	428.80	1716.00	1854.00 (1210.40# +643.60)	--	--	76.239	--
8.	हरियाणा	477.60	159.20	636.80	238.80	--	--	26.241	--
9.	हिमाचल प्रदेश	397.60	44.00	441.60	198.80	198.80	107.15	23.52	451.44
10.	झारखंड	552.00	184.00	736.00	276.00	--	--	33.294	--
11.	कर्नाटक	768.80	256.00	1024.80	384.40	384.40	--	--	--

जारी...

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 344, दिनांक 02.12.2025

अनुलग्नक 1

12.	केरल	306.40	101.60	408.00	153.20	--	--	36.32	78.168
13.	मध्य प्रदेश	1770.40	589.60	2360.00	885.20	--	--	89.145	--
14.	महाराष्ट्र	3132.80	1044.00	4176.80	1566.40	1566.40	--	138.09	--
15.	मणिपुर	40.80	4.80	45.60	29.20 (8.80#+20.40)	--	114.88	16.20	--
16.	मेघालय	64.00	7.20	71.20	60.00 #	--	--	--	--
17.	मिजोरम	45.60	4.80	50.40	22.80	--	--	--	--
18.	नागालैंड	40.00	4.80	44.80	20.00	20.00	--	14.42	--
19.	ओडिशा	1560.00	520.00	2080.00	780.00	--	--	--	--
20.	पंजाब	481.60	160.80	642.40	240.80	240.80	--	--	--
21.	राजस्थान	1440.00	480.00	1920.00	720.00	--	--	--	--
22.	सिक्किम	48.80	5.60	54.40	24.40	24.40	--	11.612	76.15 (59.86+16.29)
23.	तमिल नाडू	992.00	330.40	1322.40	496.00	--	522.34	--	--
24.	तेलंगाना	436.80	145.60	582.40	218.40	--	--	57.04	--
25.	त्रिपुरा	67.20	7.20	74.40	25.20	--	--	--	--
26.	उत्तर प्रदेश	1880.80	626.40	2507.20	1836.00 (895.60 #+940.40)	--	--	--	--
27.	उत्तराखंड	911.20	100.80	1012.00	455.60	455.60	--	--	291.15
28.	**पश्चिम बंगाल**	**983.20**	**328.00**	**1311.20**	**491.60**	**--**	**--**	**--**	**--**
	कुल: -	**21575.20**	**6608.80**	**28184.00**	**12254.00**	**2890.40**	**679.34**	**617.161**	**896.908**

= पिछले वर्ष का बकाया शामिल है.